भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3311

12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

मेट्रो शहरों में अवसंरचना विकास के लिए नई शहरी चुनौती निधि

†3311.श्री सुरेश कुमार शेटकरः

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर के महानगरों में बुनियादी ढांचा विकास के लिए बाजार-आधारित वित्तपोषण जुटाने हेतु एक नई शहरी चुनौती निधि (यूसीएफ) का प्रस्ताव किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शहरी चुनौती निधि (यूसीएफ) के उद्देश्यों में महानगरीय क्षेत्रों में शहरी परिवहन, जलापूर्ति, स्वच्छता और संधारणीय बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना शामिल है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी चुनौती निधि (यूसीएफ) के अंतर्गत प्रस्तावित कुल वित्तीय परिव्यय कितना है और निजी तथा संस्थागत निवेशकों से अपेक्षित योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के अंतर्गत महानगरों और शहरी स्थानीय निकायों के चयन के लिए पात्रता मानदंड तैयार किए गए हैं और यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए अपनाई गई चयन पद्धति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या छोटे टियर-2 और टियर-3 शहर भी शहरी चुनौती निधि (यूसीएफ) के अंतर्गत पात्र होंगे और यदि हाँ, तो आवंटन ढांचे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या शहरी चुनौती निधि (यूसीएफ) का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचा सृजन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है और यदि हाँ, तो निजी भागीदारी के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): सरकार ने बजट 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) की स्थापना की घोषणा की है। यह निधि 'विकास केंद्र के रूप में शहर', 'शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' नामक तीन घटकों के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहायता करती है और इसे सशक्त बनाती है। अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषण इस शर्त के साथ किया जाता है कि परियोजना लागत का कम से कम 50 प्रतिशत भाग बॉन्ड, बैंक ऋण तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। मंत्रिमंडल ने 13 फरवरी, 2026 को अर्बन चैलेंज फंड को अनुमोदित किया है।

निम्नलिखित शहरों को अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत शामिल किया गया हैं:
i. 10 लाख या उससे अधिक की वर्तमान जनसंख्या वाले सभी शहर तथा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियाँ;

ii. 1 लाख या उससे अधिक की वर्तमान जनसंख्या वाले प्रमुख औद्योगिक शहर (विनिर्माण एवं सेवाएँ); तथा

iii. पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरी स्थानीय निकाय तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे शहरी स्थानीय निकाय, जिनमें टियर-2 एवं टियर-3 शहर भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित छोटे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बाज़ार वित्त सुविधा प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छोटे शहरी स्थानीय निकायों (1,00,000 से कम जनसंख्या वाले) के लिए 5,000 करोड़ रुपये की कोष राशि के साथ एक ऋण अदायगी गारंटी योजना को अनुमोदित किया गया है। इस उप-योजना के अंतर्गत, अर्बन चैलेंज फंड परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त, परियोजनाओं हेतु शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लिए गए ऋणों पर केंद्रीय गारंटी प्रदान की जाएगी। यह गारंटी पहली बार लिए गए ऋणों के लिए 7 करोड़ रुपये तक या ऋण राशि के 70 प्रतिशत (जो भी कम हो) तथा बाद के ऋणों के लिए 7 करोड़ रुपये तक या ऋण राशि के 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक होगी।

*****